

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(पैराग्राफ सं. 1.5 का संदर्भ लें)

2016-17 से 2018-19 के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया सकल व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	2016-17	2017-18	2018-19
1.	कृषि	48,997.61	55,971.04	58,107.41
2.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी	1,292.60	2,034.72	2,049.44
3.	उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण	1,47,333.84	1,60,517.15	1,21,334.53
4.	संस्कृति	2,302.55	2,530.51	2,602.19
5.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास	2,543.61	2,568.36	1,988.00
6.	परमाणु ऊर्जा विभाग	18,238.40	20,067.60	23,303.40
7.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1,895.50	2,231.40	2,379.10
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4,325.60	4,635.20	5,047.84
9.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान विभाग	4,051.70	4,618.80	4,568.78
10.	अंतरिक्ष विभाग	8,040.00	9,130.60	11,192.66
11.	पेयजल तथा स्वच्छता	26,475.66	27,338.77	23,802.80
12.	पृथ्वी-विज्ञान	1,464.20	1,553.30	1,747.33
13.	पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन	3,360.30	4,277.70	2,623.87
14.	विदेश	12772.62	13,749.73	15,527.69
15.	वित्त (व्यय विभाग)	285.00	224.47	288.61
16.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	716.97	685.83	719.16
17.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	40,407.08	84,704.43	81,859.17
18.	गृह (बिना विधानमंडल वाले यूटी सहित)	81,310.12	1,03,666.29	1,15,188.16
19.	मानव संसाधन विकास	91,673.04	1,12,615.16	1,17,031.90
20.	सूचना एवं प्रसारण	3,978.30	3,487.62	4,003.28
21.	श्रम तथा रोजगार	5,313.31	6,528.57	9,291.23
22.	विधि तथा न्याय	3,851.01	4,567.13	6,242.84
23.	अल्पसंख्यक मामले	3,049.15	4,139.31	3,853.02

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	2016-17	2017-18	2018-19
24.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	7,754.10	7,456.20	4,477.80
25.	पंचायती राज	673.98	700.29	686.18
26.	संसदीय कार्य	17.09	17.11	16.39
27.	कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन	1,279.12	1,563.59	1,460.26
28.	योजना	225.69	258.95	458.93
29.	राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उपराष्ट्रपति का सचिवालय तथा चुनाव आयोग	1,368.20	1,250.34	1,670.63
30.	ग्रामीण विकास	1,57,952.27	1,80,407.77	1,86,701.98
31.	कौशल विकास तथा उद्यमिता	1,553.09	2,198.01	2,619.01
32.	सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण	7,305.78	7,682.83	11,088.32
33.	सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन	4,270.84	4,302.07	4,897.11
34.	जनजातीय मामले	4,822.29	5,317.79	5,994.58
35.	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण	6,427.30	6,054.90	7,457.92
36.	महिला तथा बाल विकास	17,097.61	20,520.45	23,034.34
37.	युवा मामले तथा खेल	1,576.20	1,722.71	1,847.89
कुल		7,38,280.02	8,71,296.68	8,67,163.77

स्रोत:- संघ सरकार-विनियोजन लेखे (सिविल) 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19

परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ सं.1.7का संदर्भ लें)

2018-19 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी किए गए अनुदान (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिनियम 1971 की धारा 14, 19(2) तथा 20(1) के तहत)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान
	कृषि	
1.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	7,564.82
2.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	203.36
3.	पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	17.03
	परमाणु ऊर्जा	
4.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	362.98
5.	टाटा स्मारक केन्द्र, मुम्बई	687.62
6.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुम्बई	95.00
7.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर	645.65
8.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई	2.08
9.	हरिश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	27.09
10.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	52.14
11.	भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	33.60
12.	साह नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता	113.79
13.	राष्ट्रीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	88.50
14.	चेन्नई गणितीय संस्थान	12.00
	आयुष	
15.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	30.49
16.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली	3.69
17.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय औषधि परिषद्, नई दिल्ली	4.85
18.	राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ, नई दिल्ली	9.48

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान
19.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	109.13
20.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	130.50
21.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	276.40
22.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	16.34
23.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली	47.27
	जैव प्रौद्योगिकी	
24.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	73.50
25.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे	61.50
26.	डीएनए फिंगर प्रिंट एवं निदान केन्द्र, हैदराबाद	43.00
27.	राष्ट्रीय मस्तिक अनुसंधान केन्द्र, गुडगांव	45.00
28.	राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	38.00
29.	जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, इम्फाल	27.40
30.	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	53.60
31.	ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	41.90
32.	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम	85.20
33.	राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान कल्याणी	26.50
34.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद	33.90
35.	राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	31.40
36.	स्टेम सैल अनुसंधान एवं पुनर्योजी औषधि संस्थान, बेंगलुरु	82.00
37.	राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	53.50
38.	नवाचार एवं अनुप्रयुक्त जैव-प्रसंस्करण केन्द्र, मोहाली	12.50
39.	आनुवांशिकी अभियांत्रिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी अंतराष्ट्रीय केन्द्र, नई दिल्ली	38.60

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान
	उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक संवितरण	
40.	भण्डारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	7.61
41.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	2.00
	संस्कृति	
42.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली	19.50
43.	नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली	18.49
44.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली	37.72
45.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली	63.03
46.	अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, नई दिल्ली	4.45
47.	गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली	14.95
48.	तिब्बत हाउस, नई दिल्ली	1.50
49.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली	25.07
50.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली	39.44
51.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली	66.91
52.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	68.55
53.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली	28.39
	पृथ्वी विज्ञान	
54.	राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र, गोवा	239.44
55.	भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे	239.18
56.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवाए केन्द्र, हैदराबाद	113.47
57.	पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम	44.11
58.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	294.24
	दिव्यांगजन सशक्तिकरण	
59.	भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र	4.85
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	
60.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	19.00

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान
61.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	12.00
62.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	9.86
63.	भारतीय वन्यजीव संस्थान	33.00
	विदेश	
64.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली	235.00
65.	विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली	11.87
66.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	306.29
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
67.	भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली	0.79
68.	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली	0.30
69.	भारतीय फार्मसी परिषद, नई दिल्ली	0.20
70.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली	1.00
71.	एआईआईएमएस (एम्स), नई दिल्ली	3,234.74
72.	राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली	अंतिम एसएआर जारी नहीं
73.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	1,447.85
74.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	64.85
75.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली	257.05
	गृह	
76.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली	45.92
77.	भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली	163.96
	मानव संसाधन विकास	
78.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, (परिषद) नई दिल्ली	706.54
79.	केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली	66.00
80.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	18.75
81.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	16.01

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान
82.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	124.58
83.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	82.09
84.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	631.29
85.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	365.95
86.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	376.46
87.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली	5,006.75
88.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	18.75
89.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	51.30
90.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	283.54
91.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली	3.75
92.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली	4.23
93.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली	70.40
94.	राष्ट्रीय शिक्षण योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	31.84
95.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	61.70
96.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	214.38
97.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	55.14
98.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	54.38
99.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	11,368.20
100.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	531.24
	सूचना एवं प्रसारण	
101.	प्रसार भारती, नई दिल्ली	3,101.26
102.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली	6.15
	विधि एवं न्यास	
103.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली	155.69
	अल्पसंख्यक कार्य	

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान
104.	केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली	14.95
	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	
105.	राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला	01.00
106.	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम	18.00
	ग्रामीण विकास	
107.	लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद	16.34
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	
108.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली	4.72
109.	राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	16.23
110.	पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान	42.72
111.	राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग	22.91
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान	
112.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद,	4,521.28
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	
113.	आधारकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	22.30
114.	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल	23.36
115.	बोस संस्थान, कोलकाता	102.35
116.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	43.85
117.	नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केन्द्र, बेंगलूरु	13.12
118.	इण्डियन एसोसियेशन फार कल्टिवेशन ऑफ साइन्स, कोलकाता	120.93
119.	भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलूरु	72.31
120.	भारतीय भूचुंबकत्त संस्थान, मुम्बई	46.60
121.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी	35.46
122.	नैनो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	69.75

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान
123.	इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद	55.76
124.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलूरु	87.40
125.	रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरु	51.38
126.	श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	199.31
127.	एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केन्द्र, कोलकाता	37.47
128.	वाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून	27.46
129.	राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	19.65
130.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद, नई दिल्ली	17.10
131.	विज्ञान प्रसार, नोएडा	31.43
132.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बेंगलूरु	13.16
133.	भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, गुरुग्राम	3.26
134.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली	23.36
135.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, कोलकाता	6.60
136.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	16.62
	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता	
137.	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण	15.00
	अंतरिक्ष	
138.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	177.26
139.	राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गादंकी	54.50
140.	उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, शिलांग	39.99
141.	सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, चण्डीगढ़	327.16
142.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम	81.21

क्र.सं.	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	2018-19 के दौरान जारी किए गए अनुदान
	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता	
143.	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण	15.00
	जल संसाधन, नदी विकास एवं जल संरक्षण	
144.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड	2.81
145.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड	5.72
146.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	2,307.50
147.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	31.00
148.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	88.92
149.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर	6.63
150.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	78.14
	महिला एवं बाल विकास	
151.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन अभिकरण	8.47
152.	राष्ट्रीय महिला आयोग	22.91
153.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	15.83
	युवा कार्यक्रम एवं खेल	
154.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	349.20
155.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	143.10
156.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	7.50
157.	भारतीय खेल प्राधिकरण	899.07
	कुल	52,337.24

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ सं.1.8 का संदर्भ लेें)

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक)	मार्च 2018 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2019 तक देय थे	राशि
1.	संस्कृति मंत्रालय	मार्च 2012 तक	2,515	19,460.64
		2012-2017	1,771	37,039.48
		2017-18	29	665.89
		कुल	4,315	57,166.01
2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	मार्च 2012 तक	3,671	13,400.24
		2012-2017	347	17,919.85
		2017-18	139	27,597.21
		कुल	4,157	58,917.30
3.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	मार्च 2012 तक	47	555.87
		2012-2016	226	86,868.51
		2016-18	186	69,778.05
		कुल	459	1,57,202.43
4.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	मार्च 2012 तक	6	1,685.25
		2012-2017	17	5,201.10
		2017-18	1	412.00
		कुल	24	7,298.35
5.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	मार्च 2012 तक	1,377	16,317.51

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक)	मार्च 2018 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2019 तक देय थे	राशि
	मंत्रालय	2012-2017	533	16,522.09
		2017-18	103	29,585.82
		कुल	2,013	62,425.42
6.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	मार्च 2012 तक	8	2.25
		2012-2017	37	135.3
		2017-18	14	163.14
		कुल	59	300.69
गृह मंत्रालय				
एलडब्ल्यूई प्रभाग				
7.	जब्त पुलिस स्टेशनों का मजबूत निर्माण-योजना	मार्च 2012 तक	0	0
		2012-2017	5	1,085.00
		2017-18	0	0
		कुल	5	1,085.00
	विशेष अवसंरचना योजना	मार्च 2012 तक	7	931.51
		2012-2017	0	0
		2017-18	0	0
		कुल	7	931.51
	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	मार्च 2012 तक	9	173.43
		2012-2017	29	385.20
		2017-18	15	368.11
		कुल	53	926.74

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक)	मार्च 2018 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2019 तक देय थे	राशि
वैज्ञानिक विभाग				
8.	परमाणु ऊर्जा विभाग	मार्च 2012 तक	241	1,327.97
		2012-2017	1,427	16,045.46
		2017-18	229	3,760.17
		कुल	1,897	21,132.60
9.	अंतरिक्ष विभाग	मार्च 2012 तक	131	415.25
		2012-2017	161	648.52
		2017-18	168	1,794.30
		कुल	460	2858.07
10.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	मार्च 2012 तक	9,521	2,93,875.00
		2012-2017	13,892	3,22,333.00
		2017-18	5,424	1,12,523.00
		कुल	28,837	7,28,731.00
11.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	मार्च 2012 तक	19,292	4,11,069.33
		2012-2017	20,117	3,87,076.00
		2017-18	6,641	1,63,674.00
		कुल	46,050	9,61,819.33
12.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	मार्च 2012 तक	1,213	4,66,025.00
		2012-2017	1,636	11,82,044.00
		2017-18	199	2,258.00
		कुल	3,048	16,50,327.00
13.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	मार्च 2012 तक	460	3,655.20
		2012-2017	156	2,343.87
		2017-18	19	1,22.70
		कुल	635	6,120.77

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2018 तक)	मार्च 2018 तक जारी अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र बकाया है जो 31 मार्च 2019 तक देय थे	राशि
14.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	मार्च 2012 तक	88	33.95
		2012-2017	387	315.26
		2017-18	126	627.26
		कुल	601	976.47
कुल योग			92,620	3,718,220.69

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ सं. 1.9 (ए) का संदर्भ लें)

निकायों की सूची जिन्होंने तीन माह से अधिक के विलम्ब के पश्चात लेखे प्रस्तुत किए

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब माह में
1.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई	26.12.2018	5
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	03.12.2018	5
3.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर	03.12.2018	5
4.	केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ, वाराणसी	08.10.2018	3
5.	केन्द्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	11.10.2018	3
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल	16.10.2018	3
7.	उत्तर-मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद	04.12.2018	5
8.	भारत हज समिति, मुम्बई	26.11.2018	4
9.	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	04.12.2018	5
10.	राष्ट्रीय आरोग्य निधि	25.10.2018	3
11.	पूर्वोत्तर लोक औषधि संस्थान, (एनईआईएफएम), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	18.12.2018	5
12.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	20.11.2018	4
13.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	16.11.2018	4
14.	भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद	05.12.2018	5
15.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कावारत्ती	31.10.2018	3
16.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	08.10.2018	3
17.	भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	04.12.2018	5
18.	भारतीय वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, मोहाली	31.10.2018	3
19.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर	11.10.2018	3
20.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	05.10.2018	3

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब माह में
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर	29.10.2018	3
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोज़ीकोड, (कालिकट)	30.10.2018	3
23.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम	12.11.2018	4
24.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आइजोल, मिजोरम	31.10.2018	3
25.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा	05.10.2018	3
26.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	16.11.2018	4
27.	गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मालदा	09.11.2018	4
28.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना	16.10.2018	3
29.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर	15.10.2018	3
30.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति	04.10.2018	3
31.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर	26.10.2018	3
32.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक	21.12.2018	5
33.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा	24.10.2018	3
34.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर	26.10.2018	3
35.	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	18.12.2018	5
36.	राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर	18.12.2018	5
37.	दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर	12.12.2018	5
38.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	05.12.2018	5
39.	दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली	13.11.2018	4
40.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली	17.10.2018	3
41.	राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला	26.12.2018	5
42.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम	16.08.2019	13
43.	पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता	04.02.2019	7
44.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	26.4.2019	9
45.	मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता	01.01.2019	6
46.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, दिल्ली	05.08.2019	13

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब माह में
47.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली	11.03.2019	8
48.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दीमापुर	07.01.2019	6
49.	दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर	15.03.2019	8
50.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर	07.01.2019	6
51.	विक्टोरिया स्मारक भवन, कोलकाता	08.02.2019	7
52.	पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	02.04.2019	9
53.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद तथा होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	11.03.2019	8
54.	नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर, ए तथा एन द्वीपसमूह (2007-08 से आगे) (2013 में प्राप्त सुपुर्दगी)	05.02.2019	7
55.	लक्षद्वीप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कावारत्ती	05.03.2019	8
56.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	17.01.2019	6
57.	मणिपुर विश्वविद्यालय	03.04.2019	9
58.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली	13.03.2019	8
59.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली	15.03.2019	8
60.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली	03.05.2019	10
61.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई	26.02.2019	7
62.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत	29.04.2019	9
63.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	04.04.2019	9
64.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम	27.05.2019	10
65.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी	09.07.2019	12
66.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई	14.01.2019	6
67.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई	21.03.2019	8
68.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	07.02.2019	7
69.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली	02.01.2019	6

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों का नाम	लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	विलम्ब माह में
70.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	12.02.2019	7
71.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल	12.04.2019	9
72.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	06.02.2019	7
73.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	08.01.2019	6
74.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली	21.06.2019	11
75.	राष्ट्रीय युवा विकास निधि, नई दिल्ली (अक्टूबर 2012 में प्राप्त सुपुर्दगी)	14.01.2019	6
76.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर	28.01.2019	6

परिशिष्ट-V

(पैराग्राफ सं. 1.9 (बी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जिनके संबंध में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लेखापरीक्षा लेखाओं को 31 दिसम्बर 2018 तक संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
वर्ष 2012-13 के लिए	
आयुष मंत्रालय	
1.	तिब्बत हाउस
आयुष मंत्रालय	
2.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
वर्ष 2013-14 के लिए	
संस्कृति मंत्रालय	
1.	तिब्बत हाउस
वर्ष 2014-15 के लिए	
आयुष मंत्रालय	
1.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
संस्कृति मंत्रालय	
2.	तिब्बत हाउस
3.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
4.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय	
5.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड
6.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
वर्ष 2015-16 के लिए	
कृषि मंत्रालय	
1.	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
आयुष मंत्रालय	
2.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग

संस्कृति मंत्रालय	
3.	तिब्बत हाउस
4.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
5.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
6.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	
7.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
वर्ष 2016-17 के लिए	
कृषि मंत्रालय	
1.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई
आयुष मंत्रालय	
2.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग
संस्कृति मंत्रालय	
3.	मौलाना अबुल कलाम आजाद उच्च शिक्षा संस्थान
4.	नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
5.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	
6.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
7.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
8.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
9.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
11.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा
12.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर
विधि एवं न्याय मंत्रालय	
13.	राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	
14.	भारतीय खेल प्राधिकरण, दिल्ली

वर्ष 2017-18 के लिए	
कृषि मंत्रालय	
1.	तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई
2.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल
3.	रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
संस्कृति मंत्रालय	
4.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
5.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, दिल्ली
6.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली
7.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
8.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	
9.	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई
10.	भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	
11.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम
12.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोज़ीकोड (कालिकट)
14.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई
15.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी
16.	राष्ट्रीय शिक्षण योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
17.	मध्य प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय (डा.हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर)
18.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत
19.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, उना
20.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम
21.	डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर
22.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
23.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोध गया
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
24.	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक तथा कल्याण बोर्ड, एएनआई, कोलकाता
25.	चंडीगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	
26.	भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली
वस्त्र मंत्रालय	
27.	वस्त्र उद्योग समिति, मुंबई
जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय	
28.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड
29.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	
30.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईआईडी), श्रीपेरुम्बुदूर
31.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि, दिल्ली
32.	भारतीय खेल प्राधिकरण, दिल्ली
33.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
34.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक विवरण विभाग	
35.	भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)
36.	भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली

परिशिष्ट-VI

(पैराग्राफ सं. 1.9 (बी) का संदर्भ लें)

संसद में स्वायत्त निकायों द्वारा 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओं का वर्ष	विलंब माह में
संस्कृति मंत्रालय			
1.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	2017-18	13
2.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता	2017-18	7
3.	पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र, उदयपुर	2017-18	1
4.	केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह	2017-18	7
5.	तिब्बती कार्य एवं अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला	2017-18	7
आयुष मंत्रालय			
6.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद	2017-18	7
मानव संसाधन विकास मंत्रालय			
7.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली	2017-18	7
8.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	2017-18	1
9.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे	2017-18	1
10.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	2017-18	1
11.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	2017-18	7
12.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूरु	2017-18	7
13.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु	2017-18	1
14.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक	2017-18	11
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी	2017-18	7
16.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर	2017-18	11
17.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी	2017-18	7
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी उत्तराखण्ड	2017-18	11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
19.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	2017-18	1

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	लेखाओ का वर्ष	विलंब माह में
विधि एवं न्याय मंत्रालय/न्याय विभाग			
20.	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली	2017-18	1
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय			
21.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून	2017-18	7
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय			
22.	राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण, चेन्नई	2017-18	7
23.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	2017-18	7
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय			
24.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	2017-18	1
25.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	2017-18	5
26.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	2017-18	6
27.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली	2017-18	11
28.	निर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	2017-18	6
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय			
29.	श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम	2017-18	1
30.	विज्ञान तथा अभियांत्रिकी बोर्ड, नई दिल्ली	2017-18	1
31.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	2017-18	6
32.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	2017-18	20
33.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद	2017-18	1

परिशिष्ट-VII

(पैराग्राफ सं. 1.10 का संदर्भ लें)

व्यक्तिगत केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

सुरक्षित ऋण एवं उधार: शून्य

उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण अभिकरण (एचईएफए) द्वारा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनसीआई), झज्जर के निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय के रूप में ₹525.00 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया गया था। इसमें से ₹282.00 करोड़ की राशि एचईएफए द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान सीधे निष्पादन अभिकरणों अर्थात् मेसर्स एचएससीसी तथा मेसर्स एचआईटीइएस को जारी की गई थी। यह देखा गया था कि एम्स ने इस राशि को वर्ष 2018-19 के लेखे में शामिल नहीं किया है। इसका परिणाम सुरक्षित ऋण एवं उधार के साथ-साथ वर्तमान परिसम्पत्तियों (अग्रिमों) के ₹282.00 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

2. केन्द्रीय चिकित्सा सेवाएं समिति, नई दिल्ली

अर्जित ब्याज (अनुसूची-17): ₹61.82 करोड़

उपरोक्त में मंत्रालय/विभाग से विभिन्न दवाईयों की खरीद हेतु प्राप्त अग्रिमों से अर्जित कुल ₹59.60 करोड़ का ब्याज शामिल था। चूंकि उपरोक्त अर्जित ब्याज मंत्रालय/विभाग से संबंधित है इसलिए इसे तुलना पत्र में वर्तमान देयता के रूप में दर्शाया जाना था। इसका परिणाम ₹59.60 करोड़ तक आय को अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं (मंत्रालय को वापसी योग्य राशि) के कम बताए जाने में हुआ है।

3. भारतीय वन्यजीव संस्थान

चिन्हित निधियां: ₹2.57 करोड़

इस अनुसूची में प्रायोजित परियोजनाओं से संबंधित शेष तथा संव्यवहार (अथ शेष ₹25 करोड़, प्राप्तियां ₹89.43 करोड़, भुगतान ₹75.13 करोड़ तथा अंत शेष ₹39.30 करोड़) शामिल नहीं थे। इसका परिणाम चिन्हित निधियों तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों के ₹39.30 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ है।

4. विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली

कोर्पस/पूँजीगत निधि: ₹88.55 करोड़

उपरोक्त को ₹82.57 करोड़ तक अधिक बताया गया है जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त अनुदानों, विभिन्न अनुदानग्राही संस्थानों से प्राप्त अनुदानों की वापसियां तथा बैंक शेषों पर ब्याज से बचतों की राशि है जो मंत्रालय को वापसी योग्य थी। इसका परिणाम वर्तमान देयताओं एवं प्रावधान के उसी राशि तक कम बताए जाने में भी हुआ है।

5. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान: ₹15863.54 करोड़

(ए) बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए जमा: ₹1841.24 करोड़

पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का किसी भी 11 नमूना प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने पालन नहीं किया और वे पूर्व की प्रथा को ही अभी भी पालन कर रहे थे। परिणामस्वरूप उनके द्वारा बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं में से किए गए कुल ₹57.52 करोड़ के अग्रिम के भुगतान को अंतिम व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने अपनी लेखा बहियों में कुल ₹33.20 करोड़ के ब्याज को हिसाब में नहीं लिया था जो उन्हें बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं की निधियों में से किए गए सावधि जमा (साख पत्र खोलने हेतु मार्जिन राशि में जमा सहित) पर अर्जित हुआ था।

इसका परिणाम बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रति वर्तमान देयताओं के साथ-साथ वर्तमान परिसम्पत्तियों के ₹90.72 करोड़ प्रत्येक तक कम बताए जाने में हुआ है।

(बी) सरकारी अनुदान के प्रति देयताएं

सीएसआईआर-ईएमआर सहित ग्यारह प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने सहायता अनुदान के अव्ययित भाग तथा सहायता अनुदान पर प्राप्त/अर्जित ब्याज को अपनी आय के रूप में दर्ज किया। फलस्वरूप, इसका परिणाम ₹54.94 करोड़ प्रत्येक तक आय को अधिक तथा सरकार को वापसी योग्य अव्ययित अनुदान के प्रति वर्तमान देयताओं को कम बताए जाने में हुआ।

(सी) अन्य देयताएं

दो प्रयोगशालाओं/संस्थानों ने माह फरवरी/मार्च 2019 के लिए बिजली/सुरक्षा/खरखाव प्रभारों तथा सम्पत्ति कर हेतु ₹2.74 करोड़ का प्रावधान नहीं किया था। इस प्रकार, उन्होंने अपने व्यय के साथ-साथ वर्तमान देयताओं को ₹2.74 करोड़ प्रत्येक तक कम बताया।

(डी) वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम: ₹5126.42 करोड़

2018-19 के दौरान केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी विभागों/अभिकरणों से प्रायोजित/परामर्श परियोजनाओं के निष्पादन के कारण प्राप्त की गई ₹4.90 करोड़ की राशि को लेखे में नहीं लिया गया था। परिणामस्वरूप, संस्थान ने अपनी वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों के साथ-साथ वर्तमान देयताओं (बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं हेतु जमा) को ₹4.90 करोड़ प्रत्येक तक कम बताया।

6. भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद**शैक्षणिक व्यय: ₹63.64 करोड़**

एमएचआरडी द्वारा केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु निर्धारित वित्तीय विवरणियों के प्रारूप के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक जर्नलों (ई-जर्नल) को पूंजीकृत किए जाने की आवश्यकता है तथा मूल्यहास का 40 प्रतिशत की उच्च दर पर प्रावधान किया गया है। तथापि, संस्थान ने पत्र-पत्रिकाओं तथा डाटाबेस के प्रापण (ई-सामग्री के रूप में प्रापण की गई) पर किए गए कुल ₹8.29 करोड़ के व्यय को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दर्ज किए जाने के बजाय इसे राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने इसके लिए कोई लेखांकन नीति भी तैयार नहीं की है। इसका परिणाम, ₹8.29 करोड़ तक शैक्षणिक व्ययों के अधिक बताए जाने, ₹4.97 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने, ₹3.32 करोड़ तक मूल्यहास के कम बताए जाने तथा ₹4.97 करोड़ तक अधिशेष के अधिक बताए जाने में हुआ।

7. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर**स्थायी परिसम्पत्तियां- मूर्त परिसम्पत्तियां: ₹557.92 करोड़**

संस्थान में विश्वकर्मा सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में अस्थायी परिसर में 2008-09 से 2016-17 के दौरान निर्माण किए गए कुल ₹14.22 करोड़ के अस्थायी शेड हैं। अब संस्थान गांधीनगर में नई परिसर में चला गया है। 10.01.2017 को हुई बैठक में शासक मंडल

(बीओजी) ने विश्वकर्मा सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (वीजीइसी) को अस्थायी शेड सुपूर्द करने का निर्णय लिया तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि परिसम्पत्तियों की लागत की प्रतिपूर्ति संभव नहीं है तथा आईआईटी गांधीनगर को अपनी लेखा बहियों से कथित शेड को बट्टे खाते में डालना चाहिए। संस्थान ने इन परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते में नहीं डाला है तथा निर्धारित दरों पर मूल्यहास करना जारी रखा है। इस परिसम्पत्ति को बट्टे खाते में न डालने का परिणाम ₹10.99 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने में हुआ तथा परिणामस्वरूप मूल्यहास को कम बताया गया है तथा अधिशेष को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।

8. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी

संस्थान ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 तथा उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु एमएचआरडी द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप के उल्लंघन में बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों हेतु प्रावधान नहीं किए हैं।

9. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

कोर्पस/पूँजीगत निधि: ₹1577.43 करोड़

इसमें प्रायोजित परियोजनाओं से सृजित ₹59.25 करोड़ की परिसम्पत्तियां शामिल हैं जबकि इन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व संबंधित प्रायोजक के पास रहा है। इसका परिणाम कोर्पस/पूँजीगत निधि तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के ₹59.25 करोड़ प्रत्येक तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

अन्य वर्तमान देयताएं: ₹77.34 लाख

उपरोक्त में विभिन्न मदों की खरीद पर व्यय किए जाने परंतु वर्ष के दौरान अदा न किए जाने से ₹1.99 करोड़ शामिल नहीं है। इसका परिणाम ₹1.99 करोड़ तक वर्तमान देयता एवं प्रावधानों के कम बताए जाने तथा उसी राशि तक कोर्पस निधि के अधिक बताए जाने में हुआ है।

11. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹47.98 करोड़

उपरोक्त में विकास प्राधिकरणों के पास क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि के आबंटन के लिए जमा किए गए ₹8.47 करोड़ शामिल हैं। भूमि का अधिकार अभि भी लिया जाना है। उपरोक्त राशि को ऋण, अग्रिम एवं जमा के अधीन पूंजीगत लेखे पर शीर्ष अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। इसका परिणाम ₹8.47 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमा के कम बताए जाने तथा इसी राशि तक स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने में हुआ है।

12. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹2180.16 करोड़

विश्वविद्यालय ने 2018-19 के दौरान जमा निर्माण कार्यों के प्रति सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में ₹164.15 करोड़ की राशि दी है; जिसमें से केवल ₹48.21 करोड़ के निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया है। तथापि, विश्वविद्यालय ने ₹164.15 करोड़ की पूर्ण राशि को अग्रिम के रूप में दर्शाने के बजाय इसे इमारत में परिवर्धन के रूप में शामिल किया। इसका परिणाम ₹115.94 करोड़ तक 'ऋण अग्रिम तथा जमा' के कम बताए जाने तथा इसी राशि तक स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिक बताए जाने में हुआ।

13. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

वर्तमान देयताएं: ₹17.33 करोड़

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2018 के माध्यम से बताया कि संसाधनों के आंतरिक सृजन (आईआरजी) की पूर्ति करने हेतु अनुदान के ऋणात्मक शेष को लेखा बहियों में नहीं दर्शाया जाना चाहिए। इसलिए संस्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए अतिरिक्त व्यय को आईआरजी से पूरा किया जाना चाहिए। संस्थान ने संस्वीकृत अनुदान से अधिक ₹3.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया है तथा इस राशि को ऋणात्मक शेष के रूप में अनुसूची 3 (सी) में दर्शाया है। इसका परिणाम ₹3.35 करोड़ तक वर्तमान देयताओं के कम बताए जाने तथा उसी सीमा तक कोर्पस के अधिक बताए जाने में हुआ है।

14. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना

स्थायी परिसंपत्तियां-मूर्त परिसंपत्तियां: ₹96.03 करोड़

कुल ₹2.88 करोड़ के आंतरिक सड़क एवं मार्ग के पुनः विकास अर्थात् जल निकासी एवं साइनेज का कार्य पूर्ण कर लिया गया था तथा संस्थान को सुपूर्द कर दिया गया था। परंतु इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था तथा इसे कार्य प्रगति में, के अधीन दर्शाया गया था। इसका परिणाम ₹2.88 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा प्रगति में पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने में हुआ है। परिणामस्वरूप मूल्यहास भी ₹5.76 लाख तक कम प्रभारित किया गया था।

15. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर

स्थायी परिसम्पत्तियां : ₹372.15 करोड़

(ए) विश्वविद्यालय ने प्रगति में पूंजीगत कार्य से ₹8.44 करोड़ के निर्माण कार्यों को पूंजीकृत नहीं किया था जबकि यह पूर्ण हो चुके थे तथा वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय को सुपूर्द कर दिए गए थे। इसका परिणाम ₹8.44 करोड़ तक मूर्त परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने तथा प्रगति में पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने में हुआ है। परिणामस्वरूप, मूल्यहास भी ₹30.75 लाख तक कम प्रभारित किया गया था।

(बी) विश्वविद्यालय ने कुल ₹5.13 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जो पूंजीगत प्रकृति के थे। विश्वविद्यालय ने इस व्यय को प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत मरम्मत एवं अनुरक्षण के रूप में दर्ज किया। इसका परिणाम ₹5.13 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्ति के कम बताए जाने तथा उसी सीमा तक प्रशासनिक व्ययों के अधिक बताए जाने में हुआ है। परिणामस्वरूप ₹36.14 लाख तक मूल्यहास भी कम लगाया गया था।

16. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना

प्रगति में पूंजीगत कार्य

(ए) संस्थान ने वर्ष 2018-19 के दौरान प्रयोगशालाओं हेतु ₹28.06 करोड़ की कीमत के विभिन्न उपकरण प्राप्त किए हैं। इन उपकरणों को वर्ष 2018-19 के दौरान उपयोग में नहीं लाया जा सका था परंतु एम्स पटना ने इन परिसम्पत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के बजाए मूर्त परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाया है तथा इन परिसम्पत्तियों पर ₹3.42 करोड़ का मूल्यहास प्रभारित किया है। इसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत प्रगति में

पूँजीगत कार्य को ₹28.06 करोड़ तक कम बताए जाने तथा मूल्यहास के साथ-साथ आय एवं व्यय से अधिक अतिरिक्त व्यय को ₹3.42 करोड़ तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

(बी) संस्थान ने चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर (पैकेज-1) के कार्य के संबंध में मध्यस्थ निर्णय के प्रति ₹7.44 करोड़ का भुगतान किया है तथा कथित भुगतान को स्थायी परिसम्पत्तियों (चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर) के बजाय अन्य प्रशासनिक व्ययों (अनुसूची-21) के अंतर्गत दर्शाया।

इसका परिणाम ₹7.44 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताये जाने तथा उसी सीमा तक अन्य प्रशासनिक व्ययों के अधिक बताये जाने में हुआ।

(सी) एम्स, पटना ने वर्ष 2006 में बिहार सरकार से ₹ एक की टोकन राशि पर 101.98 एकड़ भूमि प्राप्त की। तथापि, एम्स पटना ने टोकन धन सहित कथित भूमि को स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत नहीं दर्शाया है।

17. भारतीय हज समिति, बाम्बे

दावा न की गई देयता का प्रतिलेखन : ₹35.79 करोड़

उपरोक्त में श्रेणी के कम किए जाने के लिए वापसी के रूप में हज 2017 के तीर्थयात्रियों को वापस करने योग्य ₹27.95 करोड़ शामिल है। समिति ने गलती से इस राशि को दावा न की गई देयता का प्रतिलेखन के रूप में आय के रूप में दर्ज किया है। इसका परिणाम ₹27.95 करोड़ तक अधिशेष को अधिक बताए जाने के साथ वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान के संगत कम बताए जाने में हुआ है। इसके अतिरिक्त, अनुसूची 25 की नोट सं. 10 यह बताते हुए कि ₹35.79 करोड़ को प्रतिलेखित किया गया था क्योंकि दावा न की गई देयता 3 वर्षों से अधिक समय तक देय नहीं है, भी गलत है।

18. नागालैण्ड विश्वविद्यालय

मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय: ₹5.02 करोड़

उपरोक्त में विभिन्न पूँजीगत निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय शामिल है परंतु उन्हें राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसका परिणाम ₹1.96 करोड़ प्रत्येक तक मरम्मत एवं अनुरक्षण को अधिक बताए जाने तथा स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताए जाने में हुआ है।

19. हैदराबाद विश्वविद्यालय

(ए) प्रगति में पूंजीगत कार्य: ₹25.88 करोड़

इसमें नौ विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सीपीडब्ल्यूडी को ₹5.37 करोड़ की जमा शामिल है जिसके प्रति सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 31 मार्च 2019 तक सीपीडब्ल्यूए-फार्म 65 में कोई व्यय सूचित नहीं किया गया था। इस राशि का अनुसूची 9- ऋण, अग्रिम एवं जमा के अंतर्गत सीपीडब्ल्यूडी के पास जमा के रूप में लेखांकन करने के बजाए गलत प्रकार से इसको प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में पूंजीकृत किया गया था। इसका परिणाम ₹5.37 करोड़ तक प्रगति में पूंजीगत कार्य के अधिक बताए जाने तथा ऋण, अग्रिम एवं जमा के कम बताए जाने में हुआ है।

(बी) ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹105.21 करोड़

इसमें चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेशों पर ₹2.52 करोड़ का अर्जित ब्याज शामिल नहीं है। इसका परिणाम ऋण, अग्रिम एवं जमा के साथ-साथ चिन्हित/अक्षय निधियों का ₹2.52 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ है।

20. अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएं विश्वविद्यालय, हैदराबाद

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹195.59 करोड़

इसमें ₹3.20 करोड़ की राशि शामिल है जो विश्वविद्यालय द्वारा सृजित आंतरिक आय थी परंतु इसे प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत गलत प्रकार से वर्गीकृत किया गया। इसका परिणाम ₹3.20 करोड़ तक वर्तमान देयताओं को अधिक बताए जाने तथा आय को कम बताए जाने में हुआ। परिणामस्वरूप घाटे को भी ₹3.20 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

21. मौलाना आजाद राष्ट्रीय ऊर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद

नामित/चिन्हित/अक्षय निधियां : ₹17.69 करोड़

‘नामित/चिन्हित निधि-अन्य’ के संबंध में खर्च की गई अधिक राशि के कारण ₹3.01 करोड़ के ऋणात्मक शेषों का, इन राशियों की प्रतिपूर्ति हेतु निधियन अभिकरण/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से प्राधिकरण तथा पुष्टि के बिना प्राप्य के रूप में ऋण, अग्रिम एवं जमा को अंतरण किया गया था। इसका परिणाम नामित/चिन्हित निधियों तथा ऋण, अग्रिम एवं जमा को ₹3.01 करोड़ प्रत्येक तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

22. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारांगल**ऋण, अग्रिम एवं जमा: ₹172.57 करोड़**

इसमें जमा निर्माण कार्यों, जिसे सीपीडब्ल्यू फार्म 65 (मार्च 2019) के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पूर्ण तथा सुपूर्द किया गया सूचित किया गया, पर किए ₹140.90 करोड़ का व्यय शामिल है जिसे स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसका परिणाम ₹140.90 करोड़ तक ऋण, अग्रिम एवं जमा के अधिक बताए जाने तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के कम बताए जाने में हुआ है।

23. योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा**स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹158.23 करोड़**

₹152.54 करोड़ की कीमत की स्थायी परिसम्पत्तियों को प्रगति में पूंजीगत निर्माणकार्यों से निर्माण कार्यों के समापन के पश्चात पूंजीकृत किया गया था। तथापि, ₹7.63 करोड़ के प्रति केवल ₹95.19 लाख के मूल्यहास का प्रावधान किया गया था। इसका परिणाम ₹6.68 करोड़ तक स्थायी परिसम्पत्तियों तथा अधिशेष/पूंजीगत निधि का अधिक बताये जाने में हुआ।

24. राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद**आय: ₹35.37 करोड़**

सीआरसी, नैल्लोर से संबंधित ₹77.78 लाख तथा ₹3.12 करोड़ के अप्रयुक्त पूंजीगत अनुदानों, को आय एवं व्यय (आई एण्ड ई) लेखाओं में सहायता अनुदान में क्रेडिट की गई थीं। अप्रयुक्त पूंजीगत अनुदान को आई एण्ड ई लेखे में क्रेडिट करना लेखों के समरूप प्रारूप के नियम के उल्लंघन में है जिसमें यह बताया गया है कि मात्र सामान्य प्रायोजन हेतु प्राप्त अनुदानों को आई एण्ड ई लेखे में आय के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है। अप्रयुक्त पूंजीगत अनुदान को वर्तमान देयता के रूप में लिए जाने की आवश्यकता है। परिणास्वरूप अधिशेष/कोर्पस/पूंजीगत निधि को ₹3.90 करोड़ की सीमा तक अधिक बताया गया था तथा वर्तमान देयताओं को उसी सीमा तक कम बताया गया था।

25. भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहमपुर**वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹134.69 करोड़**

अप्रयुक्त सरकारी अनुदानों पर अर्जित ₹2.38 करोड़ की ब्याज आय को अनुसूची 3 में अप्रयुक्त अनुदानों में जोड़ के रूप में दर्शाने के बजाय इसे विनिवेशों से आय के रूप में माना

गया था। इसका परिणाम ₹2.38 करोड़ तक वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों का कम बताए जाने तथा अधिक शेष को अधिक बताए जाने तथा कोर्पस/पूँजीगत निधि को संगत रूप से अधिक बताए जाने में हुआ है।

26. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान: ₹49.65 करोड़

इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बकाया व्ययों/वेतनों के बकाया/बिजली व्ययों आदि के भुगतान हेतु ₹1.78 करोड़ की ज्ञात देयताओं हेतु प्रावधान शामिल नहीं थे परंतु भुगतान 2019-20 के दौरान किया गया था। इसका परिणाम वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों को ₹1.78 करोड़ तक कम बताए जाने तथा कोर्पस/पूँजीगत निधि के उस सीमा तक अधिक बताए जाने में हुआ।

27. पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं उत्पादन संस्थान, जबलपुर

स्थायी परिसम्पत्तियां-मूर्त परिसम्पत्तियां: ₹66.51 करोड़

₹71.42 करोड़ की कीमत के पूर्ण हुए निर्माण कार्य (व्यख्यान हॉल, आगंतुक होस्टल, नर्मदा रेजिडेंसी-II, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेस और डाइनिंग हॉल तथा बास्केटबाल कोर्ट) जिन्हें उपयोग में लाया गया है, उनको प्रगति में पूँजीगत कार्य के रूप में माना गया है। इसका परिणाम ₹66.18 करोड़ (₹71.42 करोड़ घटा मूल्यहास ₹5.24 करोड़) तक स्थायी परिसम्पत्तियों को कम बताए जाने तथा ₹71.42 करोड़ तक प्रगति में पूँजीगत कार्य को अधिक बताए जाने; तथा पूर्व अवधि व्ययों (मूल्यहास) को ₹3.81 करोड़ तक कम बताए जाने तथा व्यय (मूल्यहास) को ₹1.43 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

28. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल

अन्य आय: ₹14.29 करोड़

इसमें ₹8.00 करोड़ शामिल है जो कि एनएचडीसी लि. से “एम्स, भोपाल में केन्द्रीय उपकरण सुविधा” प्रदान करने के उद्देश्य हेतु निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) हेतु प्राप्त अंशदान था। यद्यपि निधियां 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त थीं फिर भी इसे आय के रूप में दर्ज किया गया था। इसका परिणाम ₹8.00 करोड़ तक आय के साथ-साथ आरक्षित एवं अधिशेष को अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं को उसी राशि तक कम बताए जाने में हुआ है।

29. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकता

कोर्पस/पूँजीगत निधि: ₹94.74 करोड़

उपरोक्त शीर्ष को स्टाफ क्वार्टरों हेतु ₹1.36 करोड़ का अग्रिम तथा रूपलाल नन्दी स्मारक कैंसर अनुसंधान केन्द्र के मरम्मत कार्य हेतु ₹90 लाख को शामिल किए जाने के कारण चिन्हित निधि से अप्रयुक्त के रूप में राशि को दर्शाते हुए ₹2.26 करोड़ तक अधिक बताया गया था। इसका परिणाम चिन्हित निधि को ₹2.26 करोड़ तक अधिक बताए जाने में भी हुआ है।

30. भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर, हावड़ा

वर्तमान परिसम्पत्तियां: ₹117.94 करोड़

एमएचआरडी के दिनांक 25 अक्टूबर 2018 के अनुदेशों से विचलन करते हुए ₹15.21 करोड़ की राशि का आंतरिक प्राप्तियों से समायोजन करने के बजाय इसे प्राप्य के रूप में दर्शाया गया था। इसका परिणाम, वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा कोर्पस/पूँजीगत निधि को ₹15.21 करोड़ प्रत्येक तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

31. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर

स्थायी परिसम्पत्तियां: ₹534.90 करोड़

उपरोक्त में बंद प्रायोजित परियोजना तथा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-I एवं II से सृजित ₹19.92 करोड़ की स्थायी परिसम्पत्तियां शामिल हैं। इन परिसम्पत्तियों के स्वामित्व को संस्थान को अंतरित नहीं किया गया था तथा इसे लेखाओं पर नोट्स में अलग से प्रकट करने की आवश्यकता है। इसका परिणाम स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ-साथ वर्तमान देयताओं को ₹19.92 करोड़ तक अधिक बताए जाने में हुआ है।

32. भारतीय विज्ञान, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम

कोर्पस/पूँजीगत निधि: ₹850.43 करोड़

इसमें अप्रयुक्त अनुदान होने से ₹115.31 करोड़ की राशि शामिल है जिसे तुलन पत्र में वर्तमान देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसका परिणाम ₹115.31 करोड़ की सीमा तक पूँजीगत निधि को अधिक बताए जाने के साथ उसी राशि तक वर्तमान देयताओं के संगत रूप से कम कथन में हुआ है।

33. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

(ए) पूंजीगत/कोर्पस निधि: ₹648.66 करोड़

एमएचआरडी द्वारा जारी वित्तीय विवरणियों के प्रारूप के अनुसार, उपयोग की गई सीमा तक योजनागत अनुदानों का पूंजीगत निधि को अंतरण किया जाना चाहिए तथा शेष को तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, वर्ष के दौरान प्राप्त योजनागत अनुदान की पूर्ण राशि को पूंजीगत निधि के रूप में दर्ज किया गया था। इसका परिणाम पूंजीगत निधि को ₹56.20 करोड़ तक अधिक बताए जाने के साथ वर्तमान देयताएं तथा प्रावधानों को संगत रूप से कम बताए जाने में हुआ है। इस गलत व्यवहार को पिछले वर्ष भी इंगित किया गया था।

(बी) नामित/चिन्हित/अक्षय निधि: ₹149.68 करोड़

जीपीएफ/सीपीएफ शेष

केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु एमएचआरडी द्वारा जारी वित्तीय विवरणियों के प्रारूप के अनुसार, जीपीएफ खाते तथा सीपीएफ खाते अंशदाताओं के स्वामित्व के हैं तथा इनको मुख्य लेखाओं में समेकित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, जीपीएफ तथा सीपीएफ खातों को एनआईटी, कालीकट के वार्षिक लेखाओं के साथ मिलाकर “नामित/चिन्हित/अक्षय निधि” को एनआईटी, कालीकट के वार्षिक लेखाओं की अनुसूची-2 में जीपीएफ/सीपीएफ शेष होने से ₹32.28 करोड़ बताए जाने के साथ अनुसूची-5 नामित/चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेश को संगत रूप से अधिक बताया गया है।

(सी) आय-अनुदानें/दान/अनुवृत्तियां: ₹182.56 करोड़

उपयोग की गई सीमा तक के अनुदानों को आय के रूप में माना जाना चाहिए तथा अप्रयुक्त अनुदानों को तुलन पत्र में एक देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹182.56 करोड़ की योजनागत अनुदानों की पूर्ण राशि को, अनुदान के उपयोग किए गए भाग को आय के रूप में तथा शेष को देयता के रूप में माने जाने के स्थान पर, आय के रूप में लिया गया था। संस्थान ने ₹137.36 करोड़ की गैर-योजनागत अनुदान का उपयोग किया है तथा इसलिए शेष को वर्तमान देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसका परिणाम आय को ₹45.20 करोड़ तक अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों को उसी सीमा तक कम बताए जाने में हुआ है।

34. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली

सहायता अनुदान

संस्थान ने ₹50.01 करोड़ की राशि को 'प्राप्त सहायता अनुदान' के रूप में दर्शाया। तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु प्राप्त ₹15.50 करोड़ तथा परियोजना (फार्माकोविजिलेंस) तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्राप्त ₹2.73 करोड़ के अनुदान शामिल हैं। इसलिए, पूंजीगत परिसम्पत्तियों तथा चिन्हित/अक्षय निधियों से संबंधित कुल ₹17.73 करोड़ के अनुदान को शामिल करने का परिणाम आय को अधिक बताए जाने के साथ-साथ 'व्यय से अधिक आय' को ₹17.73 करोड़ तक अधिक बताए जाने में हुआ। आगे, संस्थान ने ₹65.7 लाख की राशि को व्यय के रूप में शामिल किया जो फार्माकोविजिलेंस परियोजना से संबंधित थी। निधियों से किया गया व्यय विशिष्ट प्रायोजन के लिए हैं तथा इसे अनुसूची-3 (चिन्हित/अक्षय निधियां) के अंतर्गत प्रकट करना अपेक्षित है। इसका परिणाम ₹0.66 करोड़ तक व्यय को अधिक बताए जाने तथा देयताओं (चिन्हित/अक्षय निधियां) को कम बताए जाने में हुआ।

इस प्रकार, इसके कारण संस्थान का आय एवं व्यय लेखा ₹14.96 करोड़ के 'अधिशेष' से ₹2.11 करोड़ के 'घाटे' में बदल गया जैसा वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक लेखाओं में दर्शाया गया है।

35. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी

शैक्षणिक प्राप्तियां: ₹1.03 करोड़

संस्थान द्वारा अपनाई गई अनुसूची XX की लेखांकन नीति सं. 2.1 के अनुसार, 2014-15 से पांच वर्षों के लिए शिक्षा शुल्क को कोर्पस निधि के भाग के रूप में माना जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष के शिक्षा शुल्क का कोर्पस निधि में अंतरण किया गया है। अपनाई गई लेखांकन नीति एमएचआरडी द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रारूप के उल्लंघन में थी।

वर्ष के दौरान प्राप्त कुल ₹5.69 करोड़ के शिक्षा शुल्क को शैक्षणिक प्राप्तियों के अंतर्गत आय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके पश्चात इसे संस्थान द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार, कोर्पस निधि को अंतरित किया जाना चाहिए था। शिक्षा शुल्क को आय के रूप में लिए बिना इसका कोर्पस निधि को सीधे अंतरण का परिणाम चालू वर्ष की आय को ₹5.69 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ है।

36. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹227.47 करोड़

अनुमोदित लेखा प्रारूप के अनुसार, गैर-आवर्ती अनुदानों का उपयोग किया गया भाग पूंजीगत निधि के अतिरिक्त प्रकट होना चाहिए तथा इन अनुदानों का अप्रयुक्त भाग पूंजीगत देयताओं के रूप में प्रकट होना चाहिए। संस्थान गैर-आवर्ती अनुदानों के कुल ₹25.52 करोड़ के अप्रयुक्त भाग को दर्ज करने के बजाए प्राप्त गैर-आवर्ती अनुदानों की कुल ₹141.99 करोड़ की पूर्ण राशि को वर्तमान देयताएं में दर्ज कर रहा है। इसका परिणाम वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों को ₹116.47 करोड़ तक अधिक बताए जाने तथा पूंजीगत निधि को उसी राशि तक कम बताए जाने में हुआ।

37. भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर

स्टाफ भुगतान तथा लाभ- (स्थापना व्यय): ₹282.89 करोड़

एमएचआरडी द्वारा लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की नई प्रणाली निर्धारित करती है कि सेवानिवृत्ति लाभों पर देयता के प्रति प्रावधान का बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लेखा बहियों में प्रावधान किया जाएगा। 'लेखाओं को टिप्पणियां' के नोट सं.8 के अनुसार, ₹1192.09 करोड़ (छुट्टी वेतन-₹87.97 करोड़, उपदान-₹96.70 करोड़ तथा पेंशन-₹1007.42 करोड़) के सेवानिवृत्ति लाभों पर देयता का वार्षिक लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि एमएचआरडी ने सेवानिवृत्ति लाभों को पूर्ण रूप से वित्तपोषित किया था।

सेवा निवृत्ति लाभों के गैर-प्रावधान का परिणाम पूंजीगत निधि को अधिक बताने के अतिरिक्त वर्तमान देयताएं एवं प्रावधानों को कम बताने और ₹1192.09 करोड़ तक आय से अधिक व्यय में हुआ है।

38. पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग

वर्तमान परिसम्पत्तियां

उपरोक्त में मेघालय स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएचआईएस) के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं के प्रति संस्थान द्वारा बीमा कम्पनियों से प्राप्य ₹2.05 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसके गैर-प्रावधान का परिणाम वर्ष के लिए आय तथा वर्तमान परिसम्पत्तियां-प्राप्य को ₹2.05 करोड़ प्रत्येक तक कम बताए जाने में हुआ है।

39. भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर**ऋण, अग्रिम एवं जमा**

संस्थान ने पूंजीगत परिसम्पत्तियों पर ₹24.70 करोड़ का अधिक व्यय किया था तथा इस अधिक व्यय को, मंत्रालय की संस्वीकृति के बिना, प्राप्य अनुदान के रूप में दर्शाया गया था। संस्थान को इस अधिक व्यय को सामान्य निधि से समायोजित करना चाहिए था। इसका परिणाम, ऋण, अग्रिम एवं जमा को ₹24.70 करोड़ तक अधिक बताए जाने तथा पूंजीगत निधि को उसी राशि तक संगत रूप से अधिक बताए जाने में हुआ है।

40. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर**शुल्क/अंशदान**

सभी शुल्क एवं अंशदान को अनुसूची 14-शुल्क/अंशदान के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। संस्थान ने भर्ती हेतु कुल ₹1.01 करोड़ के आवेदन शुल्क को देयता के रूप में दर्शाया है। इस शुल्क को आवेदकों को वापस नहीं किया जाना था। इसका परिणाम वर्तमान देयताओं को ₹1.01 करोड़ तक अधिक बताए जाने के साथ-साथ अधिशेष को उसी राशि तक कम बताए जाने में हुआ है।

41. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची**वर्तमान परिसम्पत्तियां: ₹92.51 करोड़**

विश्वविद्यालय की बहियों के अनुसार अधिक आहरित बैंक शेष को शीर्ष बुक ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत वर्तमान देयताओं के रूप में दर्शाया जाना था। तथापि विश्वविद्यालय ने ₹2.42 करोड़ के अधिक आहरित बहि शेष को 'बुक ओवरड्राफ्ट' के अंतर्गत प्रकट नहीं किया था। अनियमित व्यवहार का परिणाम शीर्ष बैंक शेष के अंतर्गत वर्तमान देयताओं तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों को ₹2.42 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

42. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनन विद्यालय), धनबाद**सुरक्षित ऋण: ₹36.53 करोड़**

संस्वीकृति आदेश तथा एचइएफए के साथ ऋण अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, मूल राशि आंतरिक रूप से सृजित बजटीय संसाधनों से 20 अर्धवर्षीय किस्तों में चुकाने योग्य है। पुनर्भुगतान ऋण के संवितरण की तिथि से छः महीनों पर प्रारम्भ होना है। संस्वीकृति पत्र आगे बताता है कि ऋण अनुबंध के हस्ताक्षर करने पर, एस्करो बैंक सं.-1, ₹13.47 करोड़ तथा

इसके पश्चात ऋण खाते को बंद किए जाने तक प्रत्येक माह समान राशि डेबिट करेगा तथा राशि को मूल पुनर्भुगतान खाते (एस्करो बैंक सं.-3) में प्रेषण करेगा। एस्करो बैंक खाता सं. 3 में ऐसी प्राप्त राशि का संस्थान के अनुदेश के अनुसार पहले लघु अवधि जमा में निवेश किया जाएगा तथा ऋण के पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि पर राशि को देय किस्त के प्रति विनियोजित किया जाएगा। एचडूएफए ने जनवरी 2019 में ₹50 करोड़ के ऋण की प्रथम किस्त का संवितरण किया।

संस्थान ने, अनुबंध के अनुसार, जनवरी 2019 में एस्करो बैंक खाता सं.1 से एस्करो बैंक खाता सं-3 में ₹13.47 करोड़ का अंतरण किया तथा एसटीडीआर में निवेश किया। परंतु वार्षिक लेखाओं में, लेन देन को अनियमित रूप से ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में लिया गया था; यद्यपि राशि को 31 मार्च 2019 को संस्थान द्वारा अनुरक्षित एस्करो खाता सं. 3 में लघु अवधि जमा में निवेश किया गया था। अनियमित व्यवहार का परिणाम सुरक्षित ऋण तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों को ₹13.47 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ।

43. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान: ₹48.52 करोड़

संस्थान ने वर्ष के दौरान शीर्ष पूंजी के अंतर्गत ₹17.04 करोड़ की सहायता अनुदान प्राप्त किया तथा उसका अथ शेष ₹9.50 करोड़ था। ₹26.54 करोड़ की कुल अनुदान में से संस्थान ने शीर्ष पूंजीगत के अंतर्गत ₹11.64 करोड़ का व्यय किया। तथापि, ₹14.90 करोड़ की शेष राशि को मंत्रालय को वापसी योग्य के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसका परिणाम ₹14.90 करोड़ तक पूंजीगत निधि के अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं को कम बताए जाने में हुआ है।

आगे, संस्थान ने ₹86.84 करोड़ की राजस्व अनुदान प्राप्त किया। इसमें से, संस्थान ने कुल ₹77.58 करोड़ का व्यय किया परंतु ₹9.26 करोड़ की शेष राशि को मंत्रालय को वापसी योग्य के रूप में नहीं दर्शाया था। इसका परिणाम ₹9.26 करोड़ तक आय को अधिक बताए जाने तथा वर्तमान देयताओं को कम बताए जाने में हुआ है।

44. भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची

स्थायी परिसम्पत्तियां (अनुसूची-4): ₹1565.86 लाख

संस्थान ने एचईसी, घुर्वा, रांची में नए परिसर के निर्माण हेतु आंबटित 60.04 एकड़ भूमि के मूल्य को तुलन पत्र की स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया था। लेखाओं के सामान्य प्रारूप के अनुसार भूमि के मूल्य को स्थायी परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

परिशिष्ट-VIII

(पैराग्राफ सं.1.10 (ए) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2018-19 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
2.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
12.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
13.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
14.	राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
15.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
16.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
17.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद, नई दिल्ली
18.	दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
20.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
21.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
22.	भारतीय दन्त परिषद, नई दिल्ली
23.	भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली
24.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
25.	भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
26.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
27.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
28.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली
29.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
30.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
31.	केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
32.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
33.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली
34.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
35.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
36.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
37.	भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली
38.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
39.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई
40.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
41.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
42.	राष्ट्रीय विकास बोर्ड, नई दिल्ली
43.	क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद
44.	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली
45.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद
46.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद
47.	राष्ट्रीय कोल्ड-चैन विकास केन्द्र, नई दिल्ली
48.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (नई दिल्ली, वलसाड, भुवनेश्वर, पटना, हैदराबाद एवं ग्वालियर)
49.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
50.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली
51.	राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए), वलसाड (2016-17)
52.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड (एचक्यू), गुवाहाटी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
53.	राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली
54.	नेहरु स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली
55.	नेहरु युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
56.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
57.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर
58.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
59.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा
60.	ऑरोविले फाउण्डेशन, ऑरोविले
61.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
62.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
63.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
64.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीरंगम, त्रिची
65.	पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी
66.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई
67.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
68.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
69.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
70.	रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर
71.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
72.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू, वाराणसी
73.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
74.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
75.	केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल, आगरा
76.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद
77.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
78.	रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
79.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रायबरेली

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
80.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी
81.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
82.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
83.	नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगिर
84.	भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया
85.	खुदा बक्श ऑरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
86.	महात्मा गांधी केन्द्रीय बिहार विश्वविद्यालय, मोतिहारी
87.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पटना
88.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम
89.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
90.	दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
91.	भारतीय हज समिति, मुम्बई
92.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे
93.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
94.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारखाड़
95.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
96.	साउथ सेंट्रल जोन फॉर कल्चरल सेंटर, नागपुर
97.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड
98.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड
99.	पूर्वोत्तर सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड
100.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
101.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
102.	केन्द्रीय हिमालयीय प्रदेश सांस्कृतिक शिक्षण संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
103.	उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
104.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, (आईआईएसईआर), बरहमपुर
105.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
106.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
107.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)
108.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएएनआईटी), भोपाल
109.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
110.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, भोपाल
111.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
112.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
113.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
114.	गनी खान चौधरी इंजीरियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा
115.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर
116.	उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग
117.	उत्तर पूर्वी आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएच), शिलांग
118.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग
119.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
120.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा
121.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
122.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
123.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
124.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
125.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
126.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
127.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
128.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा
129.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तौड़
130.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
131.	भारतीय प्रबंध संस्थान, विशाखापटनम
132.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
133.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
134.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मंगलगिरि
135.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड
136.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलवर्ग
137.	डॉ.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
138.	भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
139.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
140.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
141.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर
142.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना
143.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
144.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत
145.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
146.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
147.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़
148.	जिला विविध सेवा प्राधिकरण, चण्डीगढ़
149.	भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़
150.	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर
151.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर

परिशिष्ट-IX

(पैराग्राफ सं. 1.10 (बी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2018-19 के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (परिषद), नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
3.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
8.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
9.	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
10.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली
12.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली
13.	भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद, नई दिल्ली
14.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
15.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
16.	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
17.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
18.	केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
19.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
20.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
21.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद
22.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली*
23.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद

* सीएसआईआर के अधीन आठ प्रयोगशालाओं ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया था।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
24.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद
25.	राष्ट्रीय कोल्ड-चैन विकास केन्द्र, नई दिल्ली
26.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
27.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (केन्द्रीय कार्यालयों के अलावा अन्य कार्यालय)
28.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
29.	अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, नई दिल्ली
30.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली
31.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
32.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली
33.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
34.	ललित कला एकेडमी, नई दिल्ली
35.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडौदरा
36.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर
37.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
38.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
39.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर
40.	ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले
41.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
42.	जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पुडुचेरी
43.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कराईकाल
44.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी
45.	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम
46.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड
47.	रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर
48.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
49.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
50.	केंद्रीय हिंदी शिक्षण मण्डल, आगरा
51.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
52.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबेरली
53.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
54.	मोतीलाल नेहरु राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज
55.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
56.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
57.	महात्मा गांधी केन्द्रीय बिहार विश्वविद्यालय, मोतिहारी
58.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
59.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची
60.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (आईएसएम), धनबाद
61.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
62.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, हरिया, रांची
63.	राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची-जमशेदपुर
64.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम
65.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
66.	दन्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
67.	महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
68.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बोम्बे
69.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड
70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
71.	दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र- नागपुर
72.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड
73.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड
74.	पूर्वोत्तर सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड
75.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
76.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर
77.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
78.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
79.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलई

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
80.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजायन एवं विनिर्माण संस्थान (पीडीपीएमआईआईआईटीडीएम), जबलपुर
81.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
82.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
83.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
84.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
85.	भारतीय इंजीरियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर, हावड़ा
86.	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन, कोलकाता
87.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता
88.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
89.	मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
90.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
91.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, दुर्गापुर
92.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
93.	विश्व-भारती शांतिनिकेतन
94.	पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता
95.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
96.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
97.	नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी(एनईएचयू), शिलांग
98.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
99.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
100.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
101.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
102.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
103.	भारतीय प्रौद्योगिकी विज्ञान, तिरुपति
104.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरि
105.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्ग
106.	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलोर

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
107.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
108.	भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
109.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
110.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
111.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
112.	संत लॉंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉंगोबाल, संगरूर
113.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
114.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत
115.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर
116.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
117.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर
118.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
119.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
120.	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर

परिशिष्ट-X

(पैराग्राफ सं. 1.10 (सी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जहां वर्ष 2018-19 के दौरान वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (परिषद), नई दिल्ली
2.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
5.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
6.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
7.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
9.	केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली
10.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
11.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
12.	केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
13.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
14.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
15.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
16.	क्षेत्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद
17.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली*
18.	गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद
19.	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, हैदराबाद
20.	पौध किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केन्द्र, नई दिल्ली

* सीएसआईआर के अधीन आठ प्रयोगशालाओं की वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
22.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
23.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
24.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर
25.	साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
26.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
27.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ, नई दिल्ली
28.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
29.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
30.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बड़ोदरा
31.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गाँधीनगर
32.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर
33.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
34.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
35.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर
36.	एरोविल्ला प्रतिष्ठान, एरोविल्ला
37.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
38.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, करायकल
39.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
40.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
41.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
42.	रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर
43.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
44.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर
45.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
46.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा
47.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
48.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली
49.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी
50.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज
51.	झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, रांची
52.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम), धनबाद
53.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
54.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची
55.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
56.	मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम
57.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
58.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड
60.	राष्ट्रीय औद्योगिकी अभियांत्रिकी संस्थान, मुंबई
61.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, नागालैण्ड
62.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड
63.	उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड
64.	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश
65.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर
66.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
67.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
68.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई
69.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा विनिर्माण संस्थान (पीडीपीएमआईआईआईटीडीएम), जबलपुर
70.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल
71.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर
72.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकरासार
73.	केन्द्रीय अभियांत्रिकी विज्ञान तथ प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर, हावड़ा
74.	राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
75.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम
76.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता
77.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
78.	मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन केन्द्र, कोलकाता
79.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
80.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
81.	विश्व-भारती शांतिनिकेतन
82.	पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता
83.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
84.	विक्टोरिया मेमोरिअल हाल, कोलकाता
85.	उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, (एनईएचयू), शिलांग
86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
87.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
88.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
89.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
90.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
91.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
92.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चित्तूर
93.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरी
94.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्ग
95.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैंगलोर
96.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
97.	राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली
98.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
99.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
100.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
101.	संत लॉंगोवाल अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉंगोवाल
102.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
103.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
104.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर
105.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
106.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर
107.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
108.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
109.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़
110.	केन्द्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, चोगलमसर, लेह-लद्दाख
111.	मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर

परिशिष्ट-XI

(पैराग्राफ सं. 1.10 (डी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जो अनुदानों की प्राप्ति/नकद आधार पर लेखांकन कर रहे हैं।

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
2.	लोक कार्यवाही तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद, नई दिल्ली
3.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली
4.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
5.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली
7.	भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
10.	प्रसार भारती, नई दिल्ली
11.	भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली
12.	बेतवा नदी बोर्ड, झांसी
13.	नर्मदा नियंत्रण, प्राधिकरण
14.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
15.	भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
16.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली
17.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
18.	गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली
19.	लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड, कावारती
20.	बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
21.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
22.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर
23.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ
24.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
25.	उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद

क्र. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
26.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
27.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), नोएडा
28.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा
29.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद
30.	वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा
31.	रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
32.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली
33.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
34.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय, गढवाल
35.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
36.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान, देहरादून
37.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज
38.	डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
39.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
40.	नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर
41.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगया
42.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
43.	महात्मा गांधी केन्द्रीय बिहार विश्वविद्यालय, मोतिहारी
44.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना
45.	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार
46.	खुदा बख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
47.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
48.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
49.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैण्ड
50.	पूर्वात्तर सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड
51.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
52.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
53.	पूर्वात्तर हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलांग

क्रं. स.	स्वायत्त निकाय का नाम
54.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान
55.	राजीव गांधी भीरतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग
56.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अमरावती
57.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा
58.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलूर
59.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
60.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम
61.	उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
62.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
63.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़
64.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़
65.	चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चंडीगढ़
66.	तिब्बती कार्य तथा अभिलेखागार पुस्तकालय, धर्मशाला
67.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू
68.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लेह-लद्दाख

परिशिष्ट-XII

(पैराग्राफ सं. 1.10(ई) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेखाबद्ध नहीं किया है

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (परिषद), नई दिल्ली
2.	केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
3.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
5.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद, नई दिल्ली
7.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
8.	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
9.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
11.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
12.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
13.	विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली
14.	भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
15.	भारत दन्त आयोग, नई दिल्ली
16.	भारतीय भेषजी परिषद, नई दिल्ली
17.	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली
18.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- नई दिल्ली
19.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
20.	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
21.	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
22.	केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
23.	केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
24.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
25.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
26.	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
27.	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली
28.	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
29.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली
30.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
31.	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली
32.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
33.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
34.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
35.	अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, नई दिल्ली
36.	गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
37.	सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली
38.	दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
39.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
40.	संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
41.	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली
42.	नेहरु युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली
43.	राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली
44.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली
45.	ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
46.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
47.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
48.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर
49.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
50.	ऑरोविले प्रतिष्ठान, ऑरोविले
51.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
52.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
53.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
54.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
55.	राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
56.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, दिंदिगुल
57.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
58.	राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई
59.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि
60.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट
61.	रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर
62.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
63.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (एनआर), कानपुर
64.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ
65.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद
66.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ
67.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू, वाराणसी
68.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
69.	पूर्वी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद
70.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
71.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा
72.	नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा
73.	नोएडा आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नोएडा
74.	भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, गाजियाबाद
75.	रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी
76.	वी.वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
77.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली
78.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
79.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर
80.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
81.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी
82.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
83.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम), धनबाद
84.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
85.	फाउंड्री एंड फोर्ज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हटिया, रांची
86.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची
87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम
88.	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (डब्ल्यूआर), मुम्बई
89.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा
90.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर
91.	राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई
92.	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे
93.	दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
94.	अली यावर राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांगजन संस्थान
95.	दत्तोपंत थेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
96.	पूर्वोत्तर सांस्कृतिक केन्द्र, नागालैण्ड
97.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), बराहमपुर
98.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला
99.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर
100.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
101.	केन्द्रीय ओड़िशा विश्वविद्यालय, कोरापुट
102.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, कटक
103.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
104.	महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान (एमएसआरवीवीपी), उज्जैन
105.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल
106.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएएनआईटी), भोपाल
107.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकलन एवं विनिर्माण संस्थान, (पीडीपीएमआईआईआटीडीएम), जबलपुर
108.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
109.	डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर
110.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
111.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर
112.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार
113.	भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर, हावड़ा
114.	गनी खान चौधरी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), माल्दा
115.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
116.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
117.	मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
118.	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता
119.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
120.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
121.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
122.	विश्व-भारती, शांतिनिकेतन
123.	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान(सीएनसीआई), कोलकाता
124.	विक्टोरिया स्मारक भवन, कोलकाता
125.	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
126.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग
127.	पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान(एनईआईएच), शिलांग

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
128.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग
129.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला
130.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारांगल
131.	राष्ट्रीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान, तिरुपति
132.	राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, तिरुपति
133.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
134.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
135.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
136.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (एमएएनएई), हैदराबाद
137.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद
138.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
139.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर
140.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलोर
141.	डॉ. बी. आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
142.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम
143.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी
144.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
145.	राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़
146.	संत लॉगोबाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल, संगरूर
147.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
148.	तिब्बती कार्य एवं अभिलेखागार (पुस्तकालय), धर्मशाला
149.	जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, चंडीगढ़
150.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर
151.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमोर
152.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, जम्मू
153.	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़
154.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
155.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलमसर, लेह-लद्दाख
156.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना
157.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
158.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र
159.	उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला
160.	मणिपुर विश्वविद्यालय
161.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर

परिशिष्ट-XIII

(पैराग्राफ सं. 1.10 (एफ) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची, जिसने स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रदान नहीं किया था

क्र.स.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
3.	प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली
4.	भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
5.	भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
8.	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

परिशिष्ट-XIV

(पैराग्राफ सं.1.10 (जी) का संदर्भ लें)

स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने अपने लेखों को लेखापरीक्षा के परिणाम के पश्चात संशोधित किया

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली
3.	भारतीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, चेन्नई
4.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, चेन्नई
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची
6.	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई
7.	प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई
8.	राष्ट्रीय बहुद्व्यांगत जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई
9.	गाँधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, डिंडिगुल
10.	जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी
11.	राष्ट्रीय अनुदेशात्तमक मीडिय संस्थान, चेन्नई
12.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन तथा विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
13.	पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी
14.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बुदूर
15.	केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
16.	दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावूर
17.	कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई
18.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश
20.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक
21.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम
22.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
23.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति
24.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
25.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरी
26.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद
27.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
28.	भारतीय विज्ञान संस्थान, कर्नाटक
29.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक
30.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
31.	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलोर

परिशिष्ट-XV

(पैराग्राफ सं. 1.11 का संदर्भ लें)

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित/पत्राचाराधीन की गई कार्रवाई टिप्पणियों (ए टी एन) की सितंबर 2020 को विस्तृत स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
1.	आयुष	2018	-	-	-	1	1	-	1	1	-
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग	2015	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2018	2	-	2	-	-	-	2	-	2
3.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2018	1	-	1	-	-	-	1	-	1
4.	विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2017	1	-	1	-	-	-	1	-	1
5.	संस्कृति	2012	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2017	-	-	-	2	1	1	2	1	1
		2018	-	-	-	1	1	-	1	1	-
6.	पेयजल एवं स्वच्छता	2018	1	-	1	-	-	-	1	-	1
7.	पृथ्वी विज्ञान	2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2018	1	-	1	-	-	-	1	-	1

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
8.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	2013	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2014	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2015	2	-	2	-	-	-	2	-	2
		2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
9.	विदेश	2016	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2018	3	3	-	1	1	-	4	4	-
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2014	2	-	2	1	-	1	3	-	3
		2018	-	-	-	2	2	-	2	2	-
11.	गृह कार्य	2018	1	1	-	-	-	-	1	1	-
12.	शिक्षा/मानव संसाधन विकास	2006	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2013	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2016	1	-	1	1	-	1	2	-	2
		2017	-	-	-	4	-	4	4	-	4
		2018	-	-	-	4	4	-	4	4	-
13.	श्रम एवं रोजगार	2017	-	-	-	1	-	1	1	-	1
14.	विधि एवं न्याय	2018	1	1	-	-	-	-	1	1	-
15.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2018	1	-	1	-	-	-	1	-	1

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	सिविल			स्वायत्त निकाय			कुल		
			देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन	देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचाराधीन
16.	योजना आयोग/नीति आयोग	2018	1	1	-	-	-	-	1	1	-
17.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2003	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2006	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2017	1	1	-	-	-	-	1	1	-
18.	युवा मामले एवं खेल	2012	1	-	1	-	-	-	1	-	1
		2013	-	-	-	1	-	1	1	-	1
		2014	-	-	-	2	-	2	2	-	2
		2015	-	-	-	1	1	-	1	1	-
			20	7	13	21	08	13	41	15	26

परिशिष्ट-XVI

(पैराग्राफ सं. 1.11 के संदर्भ में)

वर्षवार लंबित एटीएन

सितंबर 2020 तक बकाया की गई कार्रवाई टिप्पणियां
(विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र)

क्र. सं.	यूटी का नाम	मार्च में समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	देय	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	पत्राचारधीन
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2018	2	2	-
2.	चण्डीगढ़ प्रशासन	2018	4	4	-
3.	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप प्रशासन	2018	3	3	-
4.	लक्षद्वीप	2014	1	-	1
		2016	1	-	1
		2018	1	1	-
कुल			12	10	2

परिशिष्ट-XVII

(पैराग्राफ 1.13 (तालिका-9) का संदर्भ लें)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में अधिक भुगतान/अस्वीकार्य भुगतान से वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान	लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि	लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	4.27	4.27	पंजाब राज्य सरकार तथा एफसीआई पर उनके अभिकरण, जिला कार्यालय (डीओ) लुधियाना में सीएमआर चावल के प्रापण पर बोरी की लागत के कारण ₹4.27 करोड़ की राशि। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
2.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	11.70	10.18	केएमएस 2009-10 से केएमएस 2012-13 तक की अवधि के दौरान पंजाब राज्य सरकार तथा उनके अभिकरणों, एफसीआई, डीओ भटिंडा पर कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर) के प्रापण पर मण्डी श्रम शुल्क के अंतर्गत अनलैडिंग एवं स्टैकिंग प्रभारों का अनियमित भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

क्रम. सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान	लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि	लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
3.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	कम वसूली	0.09	0.10	एफसीआई, डीओ भटिंडा में राज्य अभिकरणों/चक्की वालों द्वारा अवमानक चावल को बदलने में विलम्ब के कारण बीआरएल को बदलने पर भण्डारण स्टैकिंग प्रभारों तथा भार प्रभारों की गैर-वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
4.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	कम वसूली	अभ्युक्ति में परिमाणित नहीं किया गया	16.72	एफसीआई, डीओ भटिंडी में केएमएस 2008-09 की अंतिम दरों के शंशोधन पर भण्डारण प्रभारों की कम वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
5.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	1.71	1.71	वर्ष 2016-17 के दौरान एफसीआई, आरओ पंजाब में बढ़े हुए थोक कीमत सूचकांक पर भण्डारण सह संभालन प्रभारों का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
6.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अन्तर राशि की गैर-वसूली	7.32	12.03	सीएमआर दरों को अंतिम रूप देने के परिणामस्वरूप एफसीआई ने आन्ध्र प्रदेश राज्य सिविल आपूर्तियां निगम से अंतर राशि की वसूली नहीं की है। एफसीआई ने अंतिम लागत शीटों के आधार पर ₹1202.87 लाख की अंतर राशि का परिकलन किया तथा सीएमआर बिलों की वसूली की। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

क्रम. सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान	लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि	लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
7.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.19	0.23	एफएसडी हाजिपुर, सीडब्ल्यूसी सिवान, बीएसडब्ल्यूसी छपरा एवं सीडब्ल्यूसी गरुल के डिपो प्रभारी द्वारा रिफिलिंग कार्य के अधिक प्रमाणीकरण के कारण ₹18.76 लाख के संभालन प्रभारों का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
8.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	2.14	0.87	केएमएस वर्ष 2012-13 के दौरान बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्तियां निगम लि. (बीएसएफ एण्ड सीएस लि.) से सीएमआर के प्रापण हेतु 'समितियों को कमीशन' के प्रति ₹213.84 लाख का अनियमित भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
9.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.10	0.10	एफसीआई डीओ, छपरा तथा हाजीपुर में सीएमआर के संभालन के कारण एचएण्डटी कान्ट्रेक्टर्स को ₹9.61 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
10.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	4.75	0.94	केएमएस वर्ष 2010-11 से 2012-13 को दौरान एफसीआई, समस्तीपुर में सीएमआर की खरीद हेतु राज्य अभिकरण को ₹474.35 लाख का अनियमित भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

क्रम. सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान	लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि	लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
11.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	कम वसूली	0.04	0.03	एफसीआई, डीओ बन्देर्देवा पर ठेकेदारों से ₹3.75 लाख के टीडीएस की गैर-कटौती। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन पर वसूली की है।
12.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.15	0.28	विभागीय श्रम को अधिक दर्ज किए जाने का परिणाम एफसीआई, डीओ धनबाद में ₹15.28 लाख के अधिक भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन की वसूली की है।
13.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	कम वसूली	9.12	2.24	एफसीआई, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में नीजि दल के माध्यम से एमएसपी योजना के अंतर्गत धान के प्रापण पर दण्ड नहीं लगाना। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन की वसूली की है।
14.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.08	0.06	एफसीआई, डीओ पूर्णिया में सीएमआर की खरीद हेतु राज्य सरकारी अभिकरण को कुल ₹7.71 लाख के ब्याज प्रभारों के प्रति अस्वीकार्य भुगतान लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

क्रम. सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान	लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि	लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
15.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.01	0.01	एफसीआई, डीओ मोतीहारी में दोगुना संभालन प्रभारों के प्रति ₹1.38 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
16.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.06	0.06	एफसीआई समस्तीपुर में राज्य अभिकरणों से सीएमआर के प्रापण पर ₹6.20 लाख के ब्याज प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
17.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.03	0.03	एफसीआई, डीओ, गुवाहटी में संभालन ठेकेदार को ₹3.11 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
18.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.26	0.12	एफसीआई, डीओ मालदा में वैगन से खाधान्न के सीधे प्रेषण पर ₹25.79 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
19.	केन्द्रीय भण्डारण निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.09	0.05	सीडब्ल्यूसी, आरओ पटना में संभालन ठेकेदार को ₹9.49 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

क्रम. सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान	लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि	लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
20.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.03	0.03	एफसीआई, डीओ शिलांग में संभालन ठेकेदार को ₹3.40 लाख का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
21.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.28	0.12	एफसीआई, डीओ मुजफ्फरपुर में समान खाद्यान्न बोरी के एकल प्रचालन के बजाए बहु संभालन प्रचालन अर्थात अपलेडिंग, रिफिलिंग तथा मानकीकरण के गलत विचार के कारण अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
22.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.04	0.02	एफसीआई, डीओ मुजफ्फरपुर में राज्य अभिकरणों से सीएमआर के प्रापण पर ₹4.99 लाख के ब्याज प्रभारों का अस्वीकार्य भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
23.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.85	1.05	राज्य सरकारी अभिकरणों द्वारा गेहूं संपूर्ण पर ₹85.33 लाख के अनलोडिंग प्रभारों की गैर-वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

क्रम. सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान	लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि	लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
24.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.15	0.18	₹14.90 लाख के परिवहन प्रभारों का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
25.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	कम वसूली	2.32	0.18	एफसीआई छत्तीसगढ़ तथा एमपी क्षेत्र में संचलनाधीन स्टॉक के प्रति एचएण्डटी ठेकेदारों से ₹2.32 करोड़ के दण्ड की गैर-वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
26.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	19.35	28.30	श्योपुर केन्द्र (एमपी राज्य) में साईलो बोरी में लिए गए स्टॉक के संबंध में राज्य सरकारी अभिकरण (एमपीएससीएससी) को ₹19.35 करोड़ (2014-15 के लिए ₹10.92 करोड़ तथा 2015-16 के लिए ₹8.43 करोड़) के अग्रनयन प्रभार अदा किए गए थे जो अस्वीकार्य थे। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के पश्चात एमपी क्षेत्र में अदा किए गए अग्रनयन प्रभारों की समीक्षा एफसीआई द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। समिति ने ₹59 करोड़ के अस्वीकार्य अग्रनयन प्रभार भुगतान को सूचित किया जिसमें से ₹28.30 करोड़ की राशि की 2018-19 के दौरान एमपीएससीएससी से वसूली की गई थी।

2021 की प्रतिवेदन सं. 2

क्रम. सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान	लेखापरीक्षा दारा इंगित अधिक भुगतान/ कम भुगतान अस्वीकार्य भुगतान की राशि	लेखापरीक्षिति संगठन द्वारा 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशी	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति और मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
27.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ओस्कॉम	परमाणु ऊर्जा विभाग	अधिक भुगतान	0.34	0.34	विलवणीकरण संयंत्र हेतु सिविल निर्माण के प्रति निर्माण कार्य के निष्पादन के संबंध नें जीएसटी की गलत दर को अपनाने का परिणाम गंजम पर आईआरईएल ओस्कॉम इकाई में जीएसटी के प्रति कुल ₹61.35 लाख की राशि के भविष्य में अधिक दायित्व सहित कुल ₹34.48 लाख की राशि के जीएसटी के अधिक भुगतान में हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
28.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ओस्कॉम	परमाणु ऊर्जा विभाग	कम वसूली	0.19	0.23	गंजम में आईआरईएल-ओस्कॉम इकाई में दल के कारण ईएमई की गैर-तैनाती के कारण एलडी को न लगाया जाना। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
कुल				65.66	80.48	